

Form No. III

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

यासीन आदि बनाम सरकार

किरम मुकदमा:- 136 एलआरएक्ट

नं. मुकदमा...33 / 2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|--|---|
| 12/02/21 | <p>आज यह पत्रावली तहसीलदार लूनकरणसर से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मुरतीब की गई। दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रार्थी यासीन आदि द्वारा निवेदन किया गया कि पटवार मण्डल कालवास के चक 14LKD के खाता संख्या 104 के मु.नं. 52/20 किला नम्बर 22/3 रकबा 0.18 बीघा अ.क., दर्ज है इसी प्रकार खाता संख्या 145 में मु.नं. 52/20 में किला नम्बर 22/2 रकबा 0.18 बीघा, 23/2 में रकबा 0.18 बीघा अ.क. दर्ज रिकोर्ड हैं। मुताबिक ई.नं. 144 उक्त किले खाता संख्या 104 के अनुसार खातेदार यासीन पुत्र सुलेमान तेली के नाम खातेदारी दर्ज हुआ। मु.नं. 52/50 के किला नम्बर 22/2 व किला नम्बर 23/2 किसी भी खाते में दर्ज नहीं हैं। गिरदावरी सम्वत 2032-35 में मु.नं. 52/50 में किला नम्बर 22/2 व 23/2 रकबा 1.16 बीघा अ.क. खाता संख्या 145 के गैर खातेदारान निजान पुत्र बक्सू खां कौम मुसलमान साकिन लूनकरणसर के नाम से दर्ज हैं। जमाबन्दी सम्वत 2055-58 बनाते समय सहवन से मु.नं. 52/50 के किला नम्बर 22/2 व 23/2 रकबा 1.16 बीघा अ.क. दर्ज हो गया अतः मु.नं. 52/50 के किला नम्बर 22/2 व 23/2 रकबा 1.16 बीघा अ.क. के मु. नं. 52/50 में किला नम्बर 22/2, 23/2 रकबा 1.16 बीघा शुद्ध किया जाना उचित हैं की रिपोर्ट पटवार हल्का से प्राप्त हैं। हमने तहसीलदार लूनकरणसर से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। प्रस्ताव में पटवार हल्का कालवास की रिपोर्ट व भू अभिलेख निरीक्षक की जांच टिप्पणी एवं तहसीलदार राजस्व लूनकरणसर द्वारा दुरुस्त करने की अनुशंषा की गई हैं। संलग्न दस्तावेजो एवं रिपोर्ट अवलोकन बाद दुरुस्ती उचित प्रतीत होती हैं। अतः मुताबिक रिपोर्ट चक 14 एलकेडी के खाता संख्या 104 में मु.नं. 52/20 के किजर लम्बी 22/3 में 0.18 बीघा अ.क. व 23/3 में 0.18 बीघा अ.क. के स्थान पर किला नम्बर 22/2 में 0.18 बीघा एवं 23/2 में 0.18 बीघा एवं खाता संख्या 145 के मु.नं. 52/20 के स्थान पर मु.नं. 52/50 व किला नम्बर 22/2 में 0.18 बीघा अ.क. व 23/2 में 0.18 बीघा अ.क. एवं खाता संख्या 1 में मु. नं. 52/50 में किला नं 22 में 0.02 बीघा अ.क. व किला नं. 23 में 0.02 बीघा अ.क. के स्थान पर किला नम्बर 22/1 में 0.02 बीघा अ.क. व 23/1 में 0.02 बीघा अ.क. दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरणसर को मुताबिक आदेश दुरुस्ती अमलदरामद करने बाबत आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार हो कर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।</p> |  |



(भागीरथ शाखी)
उपखण्ड अधिकारी